

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2016—आश्विन 22, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—
संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“34 धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में प्रवेश के लिए, प्रवेश शुल्क और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तें :—

1. प्रवेश अनुज्ञा पत्र.—

- (1) धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अनुसार इन नियमों में यथा विहित शर्तों के अधीन और ऐसे शुल्क के भुगतान पर जो कि विहित किया जाए, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध प्रवेश अनुज्ञा पत्र के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश नहीं करेगा.
- (2) प्रवेश अनुज्ञा पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा एक बार प्रवेश के लिए या उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य होगा.

2. प्रवेश.—

- (1) राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :—
 - (एक) वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक प्रयोजन;
 - (दो) वैज्ञानिक अनुसंधान;

- (तीन) राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;
- (चार) टाइगर रिजर्व के बफर जोन में या राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों की मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की अध्ययन यात्रा अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा;
- (पांच) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्रा; और
- (छह) अपने अभिभावकों के साथ भ्रमण कर रहे 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश।
- (2) नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (चार) के अंतर्गत न आने वाले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी बशर्ते ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व सूचना दी गई हो। यह सुविधा किसी संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक की खुली अवधि, में केवल एक बार एक यात्रा हेतु दी जाएगी।
- (3) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को निर्धारित धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
- (4) नियम 2 (1) (एक) (दो) या (तीन) में वर्णित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं पात्रता का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक् से किया जाएगा।
3. पर्यटन के प्रयोजनों के लिए प्रवेश शुल्क की दरें और प्रवेश अनुज्ञा पत्र की शर्तें नीचे दी गई सारणी में विहित किए गए अनुसार होंगी :

(1) प्रवेश शुल्क तथा शर्तें

सारणी - ए
वाहन से वन्य जीव दर्शन (प्रति राउंड)

अनु क्रमांक	टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्र	एकल सीट अनुज्ञा, पर्यटन हेतु पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत वाहन में (हल्के वाहन एवं मिनी बस)	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा, पर्यटन हेतु पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत वाहन में (हल्के वाहन) अधिकतम 8 व्यक्ति
1	2	3	4
1	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) संजय टाइगर रिजर्व तथा पृथक् से अन्य वर्णित किए गए व्यू प्वाइंट्स को छोड़कर	रु. 250	रु. 1500

2	संजय टाईगर रिजर्व और अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर)	रु. 125	रु. 750
*	उपरोक्त दरों में वाहन एवं गाइड शुल्क सम्मिलित नहीं है।		

टीप :

(एक) पर्यटक अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित तालिका में दिये प्रतिशत अनुसार उपलब्ध होंगे।

एकल सीट अनुज्ञा (ऑन लाइन)	एकल सीट अनुज्ञा (ऑफ लाइन)	क्षेत्र संचालक कोटा (ऑफ लाइन)	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा (ऑन लाइन)
10%	10%	10%	शेष अनुज्ञापन

* प्रतिशत अनुसार अनुज्ञा पत्रों की वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए समय आंकड़ों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

* ऑफ लाइन अनुज्ञा पत्र सफारी दिवस के एक दिन पूर्व सायं काल 5:00 बजे से उपलब्ध होंगे। बुकिंग का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(दो) ऑनलाईन बुकिंग (जहां उपलब्ध हो) के लिए उपलब्ध एकल सीट अनुज्ञा के 10 प्रतिशत क्षमता तथा करेन्ट बुकिंग के लिए 10 प्रतिशत पर्यटक को पार्क में प्रवेश के समय ऊपर उल्लेखित शुल्क के अतिरिक्त वाहन शुल्क तथा गाईड शुल्क पृथक से संदाय करना होगा। गाईड तथा वाहन के लिए वसूला गये कुल प्रभार प्रवेश के समय वाहन में उपस्थित कुल पर्यटकों के बीच बराबर-बराबर विभाजित किया जाकर देय होगा।

(तीन) सुनिश्चित एकल सीट अनुज्ञा पत्र धारी वास्तविक पर्यटकों को पार्क में प्रवेश समय के आधा घण्टा पूर्व निर्धारित प्रवेश द्वार पर उपस्थित होगा तथा अपना अनुज्ञा पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वह प्रवेश के समय से आधा घण्टा पूर्व पहुँचने में असफल है तो उनका अनुज्ञा पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। संपूर्ण वाहन अनुज्ञापत्रधारी पर्यटकों को पार्क में प्रवेश के समय के एक घण्टा पश्चात तक प्रवेश द्वार पर उपस्थित हो सकेंगे तथा अपना अनुज्ञा पत्र तथा परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वे इस समय तक पहुँचने में असफल रहते हैं तो उनका अनुज्ञा पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा और ऐसा अनुज्ञा पत्र, प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा हेतु उपलब्ध होगा। ऐसे उपलब्ध अनुज्ञा पत्रों के लिए पर्यटक पार्क में प्रवेश के समय से 1 घण्टा 30 मिनट तक पार्क के भीतर प्रवेश कर सकेंगे।

(चार) पंजीकृत वाहनों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता अथवा अन्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर भारसाधक अधिकारी आदेश जारी कर अपंजीकृत वाहनों को प्रवेश हेतु अनुमति जारी कर सकेंगे। पर्यटकों को ऐसे अपंजीकृत वाहनों से पार्क प्रवेश हेतु सारणी "ए" में उल्लेखित सम्पूर्ण वाहन अनुज्ञा दरों की नियमित से दुगुनी फीस दर

देय होगी। ऑन लाईन बुक किये गये अनुज्ञा पत्रों में यह अंतर पार्क प्रवेश के समय देय होगा।

(पाँच) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहाँ ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र की सुविधा है, तो पहले से बुक किये गये संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्र के लिए पर्यटकों के नाम, वाहन की अधिकतम धारण क्षमता तक, ऑनलाइन अथवा प्रवेश द्वार पर निम्न शर्तों पर जोड़े जा सकेंगे अर्थात् :-

- (क) मूल रूप से बुक किये गये अनुज्ञा पत्र में कम से कम दो पर्यटकों का नाम हो।
 (ख) प्रथम दो पर्यटक जिनके नाम अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया गया था उन्हें पार्क में प्रवेश के समय मौजूद रहना होगा अन्यथा अनुज्ञा पत्र निरस्त माना जाएगा।
 (ग) केवल एक बार में ही, अधिकतम चार, अतिरिक्त पर्यटकों के नाम (एड ऑन) जोड़े जा सकेंगे। इस हेतु रूपये 1,500/- का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(छह) उपरोक्त तालिका-ए की एकल सीट अनुज्ञा दरों में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधा शुल्क देय होगा एवं उन्हें सफारी वाहन में एक सीट उपलब्ध कराई जायेगी। 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे निशुल्क प्रवेश के पात्र होंगे एवं अपने अभिभावकों के साथ बैठेंगे।

सारणी - बी

पैदल अथवा वाहन से विशिष्ट स्थलों के दर्शन

क्र.	टाईगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्र	पैदल/ साइकल (प्रति व्यक्ति) हेतु दर	स्कूटर/ मोटर साइकिल /अन्य दोपहिया वाहन	हल्के वाहन (कार/ जीप/ जिप्सी/ समकक्ष)	बस
1	2	3	4	5	6
1	पचमढ़ी व्यू पाइंट्स, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेह फॉल, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, भीमबैठका (रातापानी अभयारण्य) एवं अन्य ऐसे स्थल जो संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए जाएं	रु. 50	रु. 100 एवं वाहन में बैठे व्यक्तियों (अधिकतम-2) की सम्मिलित प्रति व्यक्ति दर उदाहरण- स्कूटर में एक व्यक्ति हेतु 100+50 = 150 रूपये एवं दो व्यक्तियों हेतु 200 रूपये	रु. 250 एवं वाहन में बैठे व्यक्तियों (अधिकतम वाहन की पार्सिंग क्षमता अनुरूप) की सम्मिलित प्रति व्यक्ति दर उदाहरण- कार में एक व्यक्ति हेतु 250+50 = 300 रूपये एवं तीन व्यक्तियों हेतु 400 रूपये	रु. 500 एवं वाहन में बैठे व्यक्तियों (अधिकतम वाहन की पार्सिंग क्षमता अनुरूप) की सम्मिलित प्रति व्यक्ति दर उदाहरण -बस में एक व्यक्ति हेतु 500+50 = 550 रूपये एवं दस व्यक्तियों हेतु 1000 रूपये

टीप -

(एक). जहाँ संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा के प्रवेश की अनुमति दी जाए, वहाँ उसका प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन के प्रवेश शुल्क की दर से दोगुना होगा।

(दो). किसी संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा तथा मार्ग की विशिष्टताओं के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी किसी वाहन/वाहनों को उनके प्रवेश से प्रतिबंधित कर सकेंगे।

सारणी- सी

ट्रेकिंग, कैम्पिंग, मचान आदि एवं बैटरी चलित वाहन हेतु दरें

अनु- क्रमांक	प्रवेश का प्रयोजन	राष्ट्रीय उद्यान /अभयारण्य स्थल	प्रति पर्यटक दर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	ट्रेकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/ साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	समस्त राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य	रु. 250	प्रति व्यक्ति प्रति दिन
2.	कैम्पिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	समस्त राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य	रु. 1500	प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि। इस दर में विनिर्दिष्ट मार्ग पर ट्रेकिंग/साइकिलिंग सम्मिलित है। कैम्प स्थल तक आगमन एवं वहां से प्रस्थान केवल पर्यटन अवधि में ही अनुज्ञेय होगा।
3.	विनिर्दिष्ट हाइड /मचान/वॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन	कोर क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य	रु. 600 रु. 300	स्थल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी भी स्थल पर व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकेगी।
4.	संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए वाहन से वन्यप्राणी दर्शन	बैटरी चलित वाहन (रालामंडल अभयारण्य) अन्य वाहन, जब उपलब्ध हों (समस्त राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य) (वन विहार को छोड़कर)	रु. 60 रु. 300	प्रति व्यक्ति प्रति राउंड प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त। यदि भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में पर्यटक उपलब्ध हों। प्रति व्यक्ति प्रति राउंड, यदि भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में पर्यटक उपलब्ध हों।

सारणी - डी

सुबह की पैदल सैर या साइकिलिंग की मासिक/वार्षिक/आजीवन दर

अ. क्र.	क्षेत्र/स्थल	मासिक शुल्क	वार्षिक शुल्क	आजीवन शुल्क	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य मार्ग पर	रु. 120	रु. 1200	रु. 18000	प्रति व्यक्ति। संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमित प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।

सारणी- ई

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रवेश शुल्क

क्र.	भ्रमण का प्रकार	पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (रु.में)
1	2	3
1	पैदल भ्रमण	20/- प्रति व्यक्ति
2	साइकिल द्वारा भ्रमण (एक व्यक्ति)	30/- प्रति वाहन
3	दो पहिया वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	60/- प्रति वाहन
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	120/- प्रति वाहन
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)	250/- प्रति वाहन
6	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)	400/- प्रति वाहन
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	1000/- प्रति वाहन
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	1500/- प्रति वाहन
9	सफारी भ्रमण (वन विहार के वाहन से)	50/- प्रति व्यक्ति

टीप: (एक) बिन्दु क्र. 2 से 8 पर वाहन हेतु दरों में पर्यटकों का प्रवेश शुल्क सम्मिलित है।

(दो) क्र. 9 पर सफारी भ्रमण शुल्क अनुक्रमांक 01 से 08 तक दर्ज प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त है।

(तीन) सफारी भ्रमण हेतु कम से कम 6 पर्यटकों का होना आवश्यक होगा। पर्याप्त पर्यटक संख्या न होने पर इच्छुक पर्यटक चाहें तो 6 व्यक्तियों का सफारी शुल्क देकर सफारी कर सकेंगे।

(2) ऑन लाइन बुक किये गये अनुज्ञा पत्रों पर निम्नानुसार निरस्तीकरण शुल्क देय होगा।

सारणी - एफ

अनुक्रमांक	विवरण	निरस्तीकरण शुल्क	निरस्तीकरण पश्चात् वापस देय राशि
1	2	3	4
1	सफारी/प्रवेश दिनांक से 60 दिवस या अधिक पूर्व निरस्तीकरण।	0	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर की संपूर्ण राशि, पोर्टल फीस काटकर

2	प्रवेश/सफारी दिनांक से 30 दिवस से 59 दिवस के बीच निरस्तीकरण।	पर्यटन अनुज्ञा पत्र शुल्क का 25 प्रतिशत	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर के 25 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस काटकर शेष राशि
3	सफारी/प्रवेश दिनांक से 15 दिवस से 29 दिवस के बीच निरस्तीकरण।	पर्यटन अनुज्ञा पत्र शुल्क का 50 प्रतिशत	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर के 50 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस काटकर शेष राशि
4	सफारी/प्रवेश दिनांक से 6 दिवस से 14 दिवस के बीच निरस्तीकरण।	पर्यटन अनुज्ञा पत्र शुल्क का 75 प्रतिशत	पर्यटन अनुज्ञा पत्र के दर के 75 प्रतिशत राशि एवं पोर्टल फीस काटकर शेष राशि
5	सफारी/प्रवेश दिनांक से 5 दिवस एवं उससे कम अवधि में निरस्तीकरण।	अनुसा पग की संपूर्ण राशि	कोई राशि वापस नहीं कें जाएगी।

टिप्पण: पर्यटक अपने ऑनलाइन बुक किये गये प्रवेश अनुज्ञा पत्र की तिथि तथा पर्यटन जोन (उसी संरक्षित क्षेत्र के) को आगामी दिनाकों हेतु उपलब्धता के आधार पर पुनर्निर्धारण करवा सकेंगे। इस हेतु उन्हें प्रत्येक पुनर्निर्धारण पर पोर्टल फीस तथा रूपये 100/- पुनर्निर्धारण शुल्क देय होगा।

- (3) चालक और गाइड की गणना यान में अनुज्ञात सवारियों की संख्या में की जाएगी।
- (4) वर्तमान में लागू दरें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी।
- (5) अनुज्ञा प्रमाणपत्रों में सूचीबद्ध सभी पर्यटकों को कोई एक वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, वोटर आईडी, केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा जारी अन्य परिचय पत्र, स्कूल-कॉलेज के परिचय पत्र) रखना अनिवार्य होगा। यदि उसमें वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित न की जा सकती हो तो अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- (6) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी किसी दिवस/ अवधि हेतु प्रवेश अथवा निर्गम के समय में परिवर्तन कर सकेंगे।
- (7) पर्यटकों को ऐसे नियत किए गए राउन्ड के दौरान अपने स्टिल अथवा वीडियो कैमरे निःशुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी। पर्यटक अपने मोबाइल फोन अथवा समकक्ष उपकरणों का उपयोग फोटो खींचने के लिये कर सकेंगे किन्तु पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन साइलेंट में रखना अनिवार्य होगा। संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी इस संबंध में अतिरिक्त नियम बना सकेंगे।
- (8) यदि कोई व्यक्ति वाहन द्वारा किसी राउन्ड के लिए प्रवेश शुल्क का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उससे किसी विशिष्ट स्थल जैसे पचमढी दर्शनी स्थल, सतपुडा टाइगर रिजर्व में, पांडव और रनेह फॉल पन्ना टाइगर रिजर्व में, पैदल या वाहन द्वारा देखने के लिए कुछ भी अतिरिक्त प्रभारित नहीं किया जाएगा।
- (9) पर्यटन के लिए खुले रखे जाने वाले मार्गों और इन मार्गों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या का विनिश्चय, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

- (10) यदि आवश्यक हो तो संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बन्द क्षेत्र या मार्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (11) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उन वाहन चालकों और वाहनों का जो नियमित रूप से दर्शकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में लाते हों, रजिस्ट्रीकृत करने का उपबंध कर सकेगा एवं उन वाहनों की फिटनेस के मानक विनिश्चित कर सकेगा जो संरक्षित क्षेत्र में अनुज्ञात हों। वह किसी श्रेणी के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेगा।
- (12) सुरक्षित वाहन चालन की दृष्टि से पंजीकृत पर्यटक वाहनों के वाहन चालकों का पर्यटन अवधि में संरक्षित क्षेत्र के अंदर फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित रहेगा।
- (13) ऑनलाइन बुक किये गये अनुज्ञा पत्र के 6 दिवस अथवा अधिक पूर्व निरस्तीकरण की स्थिति में वह अनुज्ञा पत्र किसी अन्य पर्यटकों हेतु ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा। किसी अनुज्ञा पत्र को उसके सफारी दिनांक के 5 दिवस अथवा कम दिवस शेष रहने पर निरस्त करवाने की स्थिति में उक्त अनुज्ञा पत्र क्षेत्र संचालक अनुज्ञा कोटा में उपलब्ध होगा।
- (14) ऑनलाइन बुकिंग के समय किसी दिनांक हेतु पर्यटन क्षेत्र के संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्रों की उपलब्धता समाप्त होने पर इच्छुक पर्यटकों को सीमित संख्या में संपूर्ण वाहन अनुज्ञा पत्र (ऑनलाइन टिकटों का 25 प्रतिशत युक्तियुक्तकरण पश्चात) के प्रतिक्षा अनुज्ञा पत्र जारी किये जावेंगे। कन्फर्म अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण की स्थिति में वेटिंग अनुज्ञा पत्रों को प्राथमिकता से कन्फर्म किया जावेगा।

4. वीडियो/फिल्मांकन/चित्रांकन/फोटोग्राफी हेतु शुल्क :

- (1) टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में वीडियो/फिल्मांकन/चित्रांकन/फोटोग्राफी की अनुज्ञा, क्षेत्र संचालक द्वारा कैमरामेन के नाम से दी जाएगी जिसके लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार शुल्क देय होगा :

सारणी - जी

(राशि रुपये में)

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान	अन्य	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
प्रथम सात दिन तक	रु. 10,000	रु. 40,000	प्रति कैमरा
आठवें दिन से 15 वें दिन	रु. 7,500	रु. 30,000	मैन प्रति
सोलहवें दिन से आगे	रु. 5,000	रु. 20,000	दिन

- (2) अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वीडियो/फिल्मांकन/फोटो चित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा उस संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसके लिए उपरोक्त उपनियम (1) में वर्णित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा।
- (3) यह दरें केवल तब लागू होंगी जब फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए निर्धारित समय के बाद तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती हैं। यह शुल्क वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए शुल्क अग्रिम देय होगा। वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी का स्थान, समय तथा शर्तें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक से परामर्श करके घोषित की जायेगी। अनुज्ञा साधारणतः खुले सीजन के लिए जारी की जाएगी और यह अंशतः भी हो सकती है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा विशेष कारणों से बंद अवधि के दौरान भी दी जा सकेगी।
- (4) कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसे सहायता करने के लिए एक बार में दो व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकेंगे किंतु उन्हें फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा नहीं होगी। तीन व्यक्तियों की इस टीम से पृथक से कोई प्रवेश शुल्क भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (5) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी। तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य कारण से भी ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे पर्यावरण अथवा क्षेत्र के वन्यजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। इस अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी जो किसी भी दशा में, यथास्थिति उपरोक्त नियम 4 के उपनियम (1) और (2) में विहित दर से पांच गुने से कम नहीं होगी।
- (6) वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से बनवाई जाने वाली वन्य जीवन आधारित ऐसी वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा के प्रयोजन का विस्तार अथवा संरक्षण के लिए किया जाना है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी की जा सकेगी। जिसके लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. हाथी पर भ्रमण :

- (1) पर्यटन के लिए : हाथी पर महावत के अलावा एक बार में अधिकतम चार व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता/अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा। पर्यटन हेतु हाथी

उपलब्ध होने पर भ्रमण हेतु मार्गों तथा नियमों का निर्धारण संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हाथी पर सवारी की अवधि एक घंटा होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति रुपये 1,000/- शुल्क देय होगा। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा शुल्क देय होगा। किन्तु सीटों की गणना में पूर्ण सीट के समान माना जाएगा।

- (2) वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए : ऐसे कैमरामैन की मांग पर जिसने कि इन नियमों के नियम 4 के अधीन वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, उपलब्ध होने पर, 3 घंटों के लिये एक हाथी निम्नलिखित शुल्क का भुगतान कर दिये जाने पर दिया जा सकेगा तथा उक्त फिल्मांकन हेतु कैमरामैन के साथ अधिकतम एक सहायक हाथी पर जा सकेगा :

सारणी - एच

(एक)	भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के लिए	रु. 6,000/-
(दो)	अन्य सभी व्यक्ति एवं संस्थान	रु. 24,000/-

6. नौकायन :

- (1) ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके किन्हीं जलाशयों/नदियों/जलनिकायों में नौकायन की संभावना हो, विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिए शुल्क तथा नौकायन संचालन के नियम संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से विनिश्चित किए जाएंगे।
- (2) केवल राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में मोटर चलित नौका से प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु रुपये 150/- प्रति पर्यटक नियमानुसार शुल्क देय होगा।

7. स्थानीय गाइड/कुली

- (1) किसी संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन और फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु उनके साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा नामांकित प्रतिनिधि/पंजीकृत स्थानीय गाइड/कुली अनिवार्य रूप से जाएगा। स्थानीय गाइड/कुली वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों का हो, जिनमें संरक्षित क्षेत्र स्थित है और सामान्यतः वहां निवास करता हो जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य स्थित हों। गाइड/कुली की श्रेणियां, अर्हताएं एवम् उन्हें देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होगा :-

- (एक) गाइड श्रेणी जी-1 : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कामचलाऊ ज्ञान, सभी स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिह्नों का ज्ञान, वन्य प्राणी आकलन प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्य प्राणी आंकलित संख्या का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटन नियमों, राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में क्या करें तथा क्या न करें की जानकारी, उनके भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।
- (दो) गाइड श्रेणी जी-2 : वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन में मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, 'क्या करें तथा क्या न करें' की जानकारी, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा।
- (तीन) कुली : कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर ट्रेकिंग, कैंपिंग कर रहे पर्यटकों के साथ कुली का काम करने हेतु इच्छुक हो।
- (2) गाइड/कुली के लिए शुल्क : गाइड/कुली की सेवाएं लेने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगा : -

सारणी - आई

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/ कुली शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रेकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (एक दिन व दो रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	G-1	500	1000	2000
2	G-2	360	700	1400
3	कुली	-	500	1000

- (3) पूरे दिन के लिए गाइड/कुली लिए जाने पर उन्हें ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (4) विशेष दर्शनीय स्थानों पर गाइड लिए जाने के लिए शुल्क :

केन घड़ियाल अभयारण्य के रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि स्थानों के लिए जहां कि गाइड की सेवाएं अल्प अवधि के लिए ली जाती

हैं, सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेंगे।

8. पर्यटन वर्ष की प्रतिषिद्ध व खुली अवधि :

- (1) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, राला मण्डल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेहफाल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीमबैठका बरूंसोत व देलाबाड़ी में वर्ष की कोई अवधि बंद नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में एक जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि में पर्यटन या फोटोचित्रण के प्रयोजन से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी सीमित क्षेत्रों/वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेंगे। वर्ष की शेष अवधि में ये क्षेत्र पर्यटन एवं फोटोचित्रण के प्रयोजन से खुले रहेंगे।
- (2) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में वाहन से भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के अनुरूप निर्धारित कर समय-समय पर परिवर्तित किया जाएगा। प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय अधिसूचित कर पार्क के प्रवेश द्वारों के सूचना पट एवं अनुज्ञा पत्रों पर दर्ज किया जाएगा।

9. विशेष शुल्क :

संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के परामर्श से पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम-से-कम दो माह की पूर्व सूचना देने के उपरांत लिखित आदेश से किसी भी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्र/मार्ग या गतिविधि पर विशेष दरों पर शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

10. पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों से साझा किया जाना :

चूंकि टाईगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से पर्यटन वन्य जीव संसाधनों के गैर उपभोग से निरंतरता पाता है और स्थानीय समुदायों को मांसाहारी वन्यप्राणियों के द्वारा पालतु पशुओं के शिकार, जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के नुकसान एवं आय में कमी के रूप में संरक्षण की कीमत चुकाना पड़ती है। एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र में, विकास निधि में जमा की गई पर्यटन की समस्त प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों से साझा किया जाएगा।

11. विविध :

- (1) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जिसका इस नियम में उल्लेख नहीं है या उल्लेख होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अब तक शुरू नहीं की जा सकी है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकेगी। किंतु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।
- (2) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र की धारण क्षमता के आधार पर करेगा। इसके अतिरिक्त वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी निर्धारण करेगा।
- (3) वन्य प्राणी संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश, भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल विशेष का उपयोग संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- (4) फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्य जीव दर्शन हाथी पर भ्रमण, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, कैंपिंग एवं हाइड/मचान/वॉच टॉवर, आदि के उपयोग या भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली नई पर्यटन गतिविधियों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा जारी किए जा सकेंगे, जो इन नियमों का भाग होंगे।
- (5) राज्य शासन की विशिष्ट अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर कोई सभा, सम्मेलन, बैठक, आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध म.प्र. राज्य वन्य प्राणी मंडल, मध्यप्रदेश राज्य के वन विभाग के अधिकारियों की बैठकों, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा वन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।
- (6) संरक्षित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर, चार्ट, आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना निषिद्ध होगा।
- (7) कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात, चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा उसे विकृत नहीं करेगा।
- (8) पर्यटन और फिल्मांकन/फोटोग्राफी के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

- (9) (क) परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने पर्यटन/फिल्मांकन/चित्रांकन/फोटोग्राफी प्रयोजन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश लिया हो और अनुज्ञा पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा एवं उक्त के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियमों/उपबंधों के अनुसार विधिक कार्यवाही कर सकेगा। संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा पत्र की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशतः या पूर्णतः प्रतिबंधित भी कर सकेगा। क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने हेतु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक विस्तृत निर्देश जारी करेंगे।
- (ख) कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन, किया जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा की गई किसी विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि को कुछ अथवा पूर्ण अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- (ग) पंजीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित गाइड, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न स्तर के प्रबंधन अधिकारी द्वारा दिये जाये निर्देशों का कोई उल्लंघन किये जाने पर रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा। प्रथम उल्लंघन की दशा में, सक्षम वन अधिकारी उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून आगामी वर्ष) के लिए संरक्षित क्षेत्र में अन्य विधिक कार्यवाही के अतिरिक्त प्रतिबंधित कर सकेगा। ऐसे पंजीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा नेचुरलिस्ट/गाइडों का प्रवेश जो पिछले दो वर्ष के दौरान तीन बार दंडित किए जा चुके हों, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में आगामी दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियमों/उपबंधों के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।
- (घ) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी आदतन उल्लंघनकर्ता को या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
- (ङ) इस उपनियम के अधीन प्रवेश प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्यवाही प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

- (10) दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उन अन्य दिनों का, जिनको कि पर्यटन और वीडियो/फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे, विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

यह संशोधन 01 अक्टूबर 2016 से प्रवृत्त होगा।

F.No. 14-82/1988/10-2 :: In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely : -

AMENDMENTS

In the said rules, for Rule 34, the following rule shall be substituted, namely:-

"34. Entry fee and conditions of entry permit under Section 28 for entry into National Parks and Sanctuaries:

1. Entry Permit:

- (1) No person shall enter any National Park or Sanctuary for the purposes mentioned under sub-section (1) of Section 28 without a valid permit issued by Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh or by an officer authorized by him for this purpose, as per the conditions and on payment of such fees as prescribed in these rules as per sub-section (2) of section 28 of the said Act
- (2) Entry permit is individual, non-transferable and valid for entry for one time or for the period mentioned in the entry permit.

2. Entry:

- (1) No entry fee shall be charged for entry in National Parks and Sanctuaries for following purposes, namely:-
 - (i) study or investigation of wildlife and its ancillary objectives;
 - (ii) scientific research;
 - (iii) transaction of lawful business with any person residing in the National Park or Sanctuary;
 - (iv) authorized study tours of the students of recognized educational institutions of the villages situated in the buffer zones of the tiger reserves and within 5 km boundary of National Parks and Sanctuaries or the authorized study tours of the members of Eco-Development Committees;

- (v) authorized study tours of the students, trainees, instructors and support staff of training and research institutes of Government of India, Ministry of Environment and Forest or Forest Departments of various States; and,
- (vi) entry of children upto 5 years of age visiting with their parents.
- (2) 50 percent rebate in the regular entry fee shall be given to the students of recognized educational Institutes not covered under clause (iv) of sub-rule (1) of rule 2, provided prior intimation is given for such authorized study tours. This facility for an institution will be provided only once for one round during the open period of entire tourism year, that is 1st July-30th June.
- (3) Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh or the officer in-charge of the protected area can give permission for free entry to any person or a group under special circumstances, within the limits of maximum carrying capacity.
- (4) Eligibility and conditions of entry permits for the purposes mentioned in sub-rule 2 (1) (i), (ii) or (iii) shall be ascertained separately by the Chief Wildlife Warden based on the requirements of a particular protected area.
- 3. Rates of entry fee and conditions of entry permits for the purposes of tourism shall be as follows as specified in the tables given below**

(1) Entry fee and conditions

**Table-A
Viewing wildlife by Vehicles (Per Round)**

S. No	Tiger Reserve/ Protected Area	Single seat permit, in a vehicle registered by park management for tourism purpose (Light Motor Vehicles and Mini Bus)	Full vehicle permit, in a vehicle registered by park management for tourism purpose (Light Motor Vehicles), maximum 8 persons.
1	2	3	4
1	Core Areas of Tiger reserves except Sanjay Tiger Reserve and view points mentioned separately	Rs. 250	Rs. 1500
2	Sanjay Tiger Reserve and Other National Parks or Sanctuaries (except Van Vihar National Park)	Rs. 125	Rs. 750
*	Above rates are exclusive of Guide and Vehicle fee.		

Note :

- (i) Permits will be available in percentage shown in the following table.

Single Seat permit (Online)	Single seat permit (Offline)	Field Director Quota (Offline)	Full vehicle permit (Online)
10%	10%	10%	Rest of the Permits

* Figures shall be rationalised to obtain the actual number of permits as per the percentage.

* Offline permit will be available a day before the Safari date, 5 PM onwards. The actual time of booking shall be decided by officer in-charge of the Protected Area.

- (ii) For the 10% Single seat permit available for the online booking (wherever available) and 10% for current booking, in addition to the fees above mentioned, the tourist shall have to pay for the hired vehicle and the guide separately at the time of entry inside the park. The total hire charges for the guide and vehicle shall be distributed equally and payable by the tourists present in the vehicle at the time of entry.
- (iii) Confirmed single seat permit holders have to arrive at the assigned gate half an hour before the entry time and submit their permit and ID Card. If they fail to reach half an hour before the entry time, their permit shall be considered automatically cancelled. Full vehicle permit holders tourists, can arrive till one hour after the entry time, and will have to submit their permits and ID card at the gate. If they fail to arrive by this time their permit shall be considered automatically cancelled and such permit shall be available for booking as single seat permit at the entry gate. For such available permits tourists may enter the park upto 1.30 hour after the entry time.
- (iv) In case of non availability of registered vehicles in sufficient number or due to some other local factors, the officer in-charge of the protected area can, after issuing an order, allow the entry of un-registered vehicle for tourism. Tourist shall have to pay double the regular fee, mentioned in Table-A for full vehicle permit, when entering by such un-registered vehicle. For the online booked permits, this difference shall be payable at the time of park entry.
- (v) For those protected areas where online permits bookings system is operational, for full vehicle permit, the names of visitors can be added, upto the maximum capacity of the vehicle, online or at the entry gate with following conditions namely :-

- a) If minimum two tourists names are mentioned at the time of booking of original permit.
- b) First two tourist, on whose names permits were booked, have to be present during park visit, otherwise the permit shall be considered cancelled.
- c) Only in one go, upto four add on tourists names can be added into the permit. For such addition, an extra fee of Rs. 1,500/- shall be payable.
- (vi) For the children aged between 5-12 years single seat fee shall be half of the fee mentioned in table-A and a seat shall be provided to them in the safari vehicle. children below five year of age shall be entitled for free entry and they shall share the seat occupied by their parents.

Table - B
Visit to specific place on foot or by some Vehicle

No.	Tiger Reserve/ Protected Area	On foot/ Bicycle (per person fee)	Scooter/Motor cycle/ other two wheelers	Light Motor Vehicles (Car, Jeep, Gypsy or similar)	Bus
1	2	3	4	5	6
1	Pachmarhi View Points Pandhav Fall in Panna National Park, Raneh Falls in Ken Gharial WLS, Fossil National Park, Bhimbethika (Ratapani WLS) and any other spots earmarked by the in-	Rs 50	Rs. 100/- plus per person permit fee of person/ persons riding the vehicle (maximum 2) Ex. : Fee for 1 person by scooter will be Rs. 100+50=150/- and for 2 persons Rs. 200/-	Rs. 250/- plus per person permit fee of person/ persons riding the vehicle (maximum as per the passing capacity) Ex. : Fee for 1 person by Car will be Rs. 250+50=300/- and for 3 persons Rs. 400/-	Rs. 500/- plus per person permit fee of person/ persons riding the vehicle (maximum as per the passing capacity) Ex. : Fee for 1 person by Bus will be Rs. 500+50=550/- and for 10 persons Rs. 1,000/-

charge of protected area)				
---------------------------	--	--	--	--

Note:

- (i) Where entry of auto-rickshaw is permitted by the officer in-charge of the protected area, the entry fee for an auto- rickshaw shall be two times the rate of two-wheelers.
- (ii) The officer in-charge of a protected area, depending upon the peculiarity of the approach road and to ensure the safety of the tourists, may restrict entry of some vehicle/ vehicles inside the park.

Table-C
Fee for tracking, camping, Machan etc and battery driven Vehicles

Sr. No	Purpose of entry	National Park/ Sanctuary/ Spot	Fee per tourist	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Trekking/ Cycling (on specified routes earmarked by the officer in-charge of the protected area)	All National Parks and Sanctuaries	₹250	Per person per day
2.	Camping (Only in the premises earmarked by the officer in-charge of the protected area)	All National Parks and Sanctuaries	₹1500	Per person per night. The rate includes trekking / cycling on designated routes. Arrival at and departure from the camp site shall be allowed only during normal tourism hours.
3	Wildlife Viewing from specified Hide/ Machan/ Watch Tower	Core Areas (Tiger Reserves) Other National Parks and Sanctuaries	₹600 ₹300	Officer in-charge of the protected area can limit the number of persons at any spot according to the sensitivity of the site.
4	Wildlife viewing by Government vehicle (Minibus)	Battery operated vehicle	₹60	per person/ per round in addition to the entry fee if minimum number of

made available by the protected area management	(Ralamandal Sanctuary) Other Vehicles, wherever available (all National Parks & Sanctuaries) except Van Vihar N.P.	₹300	visitors, as decided by the officer in-charge are available. Per person/ per round if minimum number of visitors, as decided by the officer in-charge, are available.
---	---	------	--

Table-D
Monthly/Annual/ Lifetime fee for morning walk or Cycling

Sr. No	Area/Spot	Monthly Fee	Annual Fee	Life time Fee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	On the main road of Van Vihar National Park.	₹120	₹1200	₹18000	Per person. Regular entry pass will be issued by the Director or an officer authorized by him for this purpose.

Table-E
Entry Fee for Van Vihar National Park

(Amt. in Rs.)

Sr	Purpose of visit	Entry Fee for Tourists
1	2	3
1	Visit by walk	20/- per person
2	On Bicycle (One person)	30/- per vehicle
3	Two wheelers (maximum 2 persons)	60/- per vehicle
4	Auto Rikshaw (Maximum 4 person including driver)	120/- per vehicle
5	Light Motor Vehicle (Upto 5 person capacity)	250/- Per Vehicle
6	Light Motor Vehicle (More than 5 person capacity)	400/- Per Vehicle
7	Mini bus (upto 20 person capacity)	1000/- Per Vehicle
8	Bus (more than 20 person capacity)	1500/- Per Vehicle
9	Safari (by the Van Vihar vehicle)	50/- per person

Note:(i)The fee per vehicle, mentioned on Sr. 2-8 is including of entry fee for the tourists.

(ii) The Safari fee mentioned on Sr. 9 is excluding of entry fee mentioned w.r.t. 1-8.

(iii) For Safari, to operate, atleast 6 tourists will be required. In case of insufficient number of tourists available for Safari, the willing tourists may avail the Safari by paying the fee for 6 persons.

(2) Table-F
Following cancellation fee shall be charged on online booked permits.

Sr	Details	Cancellation charges	Amount refunded after cancellation
1	2	3	4
1	Cancellation of permit 60 days or before Entry/ Safari date.	0	Complete amount of permit fee after deducting portal fee.
2	Cancellation of permit between 30 to 59 days prior to Entry/ Safari date.	25% of the permit fee	Rest of amount after deducting 25% permit fee and portal fee
3	Cancellation of permit between 15 to 29 days prior to Entry/ Safari date.	50% of the permit fee	Rest of amount after deducting 50% permit fee and portal fee.
4	Cancellation of permit between 6 to 14 days prior to Entry/ Safari date.	75% of the permit fee	Rest of amount after deducting 75% permit fee and portal fee
5	Cancellation of permit between 5 or less days prior to Entry/ Safari date.	Complete amount of permit fee	No money will be refunded.

Note:

- (i) Tourist can re-schedule their travel date and tourism zone (of the same protected area) on their online booked safari permit subject to availability. For such re-scheduling they have to pay portal fee and Rs. 100 re-scheduling fee on each rescheduling.
- (3) Drivers and guides shall be counted in the numbers of passengers allowed in a vehicle.
- (4) These rates shall be applicable till next order.
- (5) It shall be compulsory to keep any valid identity proof (Adhar card, Passport, Driving license, PAN Card, Voter ID, any other ID issued by Central of State Govt., I Card issued by School/ College) for all the visitors listed in the entry permit. Entry permit shall be cancelled if the identities of the persons mentioned in it cannot be ascertained.

- (6) Depending upon the local conditions the officer in-charge of the protected area may change the entry or exit timings for a day/duration.
- (7) Visitors are permitted to use their still or video cameras free of cost during such fixed round. Tourists are allowed to use their mobile phones or similar equipment for photography but it will be mandatory for them to keep their phones in silent mode during safari. Officer in-charge of Protected Area may impose additional rules in this regard.
- (8) If a person pays full entry fee for a round by vehicle, he shall not be charged anything extra for visiting a specific spot such as Pachmarhi View Points in Satpura Tiger Reserve; Pandav and Raneh falls in Panna Tiger Reserve on foot or by a vehicle.
- (9) Routes to be kept open for tourism and maximum number of vehicles of various types to be permitted on these routes shall be decided by the officer in-charge of the protected area according to local circumstances.
- (10) If required, the officer in-charge of the protected area can specify any regions or routes closed for specified period for the persons entering the Protected Area for the purposes mentioned under sub section 1 of section 28 of the act.
- (11) The officer in-charge of the protected area can make the provision for registration of vehicle driver and vehicles that are being used regularly to take visitors in the protected area. He can decide about the standards of fitness of the vehicles that may be allowed in the protected area. He may restrict the entry of any category of vehicles.
- (12) To ensure safe driving, during tourism time inside the protected area photography will be prohibited for the drivers of registered park vehicles.
- (13) The online booked permits, if cancelled 6 days or before the safari, the permit shall be available for other tourists online, for booking. In case of permit cancellation 5 or less days before the safari, the permit shall be available as Field Director permit quota.
- (14) Wait list permits in limited numbers (25% of online permits, after rationlasion) shall be issued online, once the all the available full vehicle permits shall be booked for the particular tourism area, for the willing tourists. Wait list permits shall be confirmed on priority at the time of cancellation of confirmed permits.

4. Rates for Video/Filming/Picturing/Photography:

- (1) Permission for Video/Filming/Picturing /Photography in the core areas of the tiger reserves shall be given by the Field

Director in the name of the cameraman for which fee shall be payable according to the table given below :-

Table-G

Duration	Indian Educational/Research Institutes; Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	Others	Remarks
1	2	3	4
First 7 days	₹10000	₹40000	Per camera man per day
8 th to 15 th day	₹7500	₹30000	
16 th day onwards	₹5000	₹20000	

- (2) Permission for Video/Filming/Picturing/photography in other National Parks and Sanctuaries shall be given by the officer in-charge of that protected area for which 50 percent of the fee shall be payable according to sub rule 1 above.
- (3) These rates shall be applicable only if permission is asked for filming/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for the entire period of filming/photography. Place, time and conditions for Video/Filmi/Picturing/photography based on local requirements shall be decided by the officer in-charge of the protected area in consultation with Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. The fee shall be payable in advance for the entire duration of Video/Filmi/Picturing/photography. This permission shall generally be issued for the open season and it can be in parts also. With the prior permission of Chief Wildlife Warden, permission for entry for the purpose of photography/filming for special reasons can be issued during the closed period also.
- (4) Cameraman means a person in whose name the filmy/picturing photography/filming permission has been issued. At the most two persons can be permitted with him to assist him, but they will not have permission for photography/filming. This team of three persons shall not be required to pay any entry fee separately.
- (5) Permission for Video/Filmi/Picturing/Photography in a National Park or Sanctuary shall ordinarily be given only for

recording the natural beauty, wildlife or natural history of the area. However, the Government may permit such work for any other reason, under special circumstances, provided it does not adversely impact the ecology or wildlife of the area. Such permission shall be charged at special rates, which shall in no case be less than five times the rate prescribed under sub-rule (1) and (2) of rule 4 above, as the case may be.

- (6) Permission for Video/Filming/Picturing/Photography of wildlife based films made by the forest department, or filmed through other persons or institutions that will be used for research, training, extension or conservation education purpose, can be given by the Chief Wildlife Warden for which no fee shall be charged. Copyright of all such films shall be reserved with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

5. Elephant Rides:

- (1) **For Tourism:** Maximum four persons shall be allowed to sit on an elephant, excluding Mahout. Children up to 5 years of age shall be allowed free, along with their parents/guardians. Rules and routes for elephant rides shall be determined by the officer in-charge of the protected area. Duration of the elephant ride shall be one hour, for which Rs. 1,000 fee per person shall be payable. For the children age between 5-12 years half fee shall be payable, but for the calculation of seat, it will be considered as a full seat.
- (2) **For Video/Filming/Picturing/Photography/:** On the demand of the cameraman, who has taken permission for Video/Filming/Picturing/ Photography under sub-rule 4 of 4 these rules, the elephant can be given for three hours, if available, on payment of following fee per elephant:

Table-H

(i)	For Indian educational or research institutes and Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	₹ 6000/-
(ii)	All others	₹ 24000/-

6. Boating:

- (1) In all the protected areas, which have the potential for boating in their reservoirs/rivers/waterbodies, rules for boating and the rates for different types of boating activities shall be decided by the officer in-charge of the protected area in consultation with the Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh.
- (2) Only in National Chambal Sanctuary, the fee of boating by motor boat shall be ₹ 150 per person per hour.

7. Local Guides/ Porters:

- (1) All visitors entering the protected area for the purpose of tourism and photography/filming shall be accompanied compulsorily by a nominated representative/registered local guides/Porters licensed by the Director/Field Director/Officer in-charge of a forest circle, or by any other officer authorized by the Chief wildlife Warden. A local guide/ porter shall either be a person who belongs to and is ordinarily resident in the district or districts in which the national park or the sanctuary is situated. The categories, qualifications and remuneration of guides/porters shall be as follows:

(2) Minimum Qualifications for Guide/Porter

- (i) **Guide category G-1** : Class 12th pass, working knowledge of English, identification of all mammals and common birds, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Park/Sanctuary, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, certificate of first aid and a minimum experience of 3 years as a guide.
 - (ii) **Guide category G-2** : Knowledge of wildlife, knowledge of forest roads, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about the forests and wildlife of the area, knowledge of wildlife management, animal behavior, habitat etc., knowledge of tourist rules, do's and don'ts, Eagerness to learn more about forests and wildlife.
 - (iii) **Porter** : Any local person willing to work as porter with tourists who are trekking or camping insight protected area.
- (2) **Fee for Guide/ Porter:** Fee for hiring guide/porter shall be given in the table below :-

- (b) **Fee for Guide/ Porter:** Fee for hiring guide/porter shall be given in the table below :-

Table - I

Sr. No.	Category	Guide/ Porter Fee (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/ Cycling (per day)	Camping (one day and two nights)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	G-1	₹400	₹1000	₹2000
2	G-2	₹360	₹700	₹1400
3	Porter	-	₹500	₹1000

4. Guide/Porter shall be paid at the rates for trekking/cycling when engaged for the whole day.
5. **Fees for Guides engaged at special scenic spots:** For places such as Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park etc., where the guides are engaged for a shorter duration, the respective protected manager shall fix the proportional rates based on local conditions.

8. Prohibited and Open Period for Tourism Year:

- (1) Ordinarily there shall be no closed period for Van Vihar National Park, Madhav National Park, Fossil National Park Ghughwa, Dinosaur Fossil National Park, Ralamandal Sanctuary, Sailana Sanctuary, Sardarpur Sanctuary, Orchha Sanctuary, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinghgarh Sanctuary), Bhimbathika, Barrusot and Delawadi in Ratapani Sanctuary. For the other National Parks and Sanctuaries, period between 1st July and 30th September shall be the prohibited period for tourism or photography and the rest period of the tourism year shall be the open period for tourism and photography. The officer in-charge of protected area, depending upon the prevailing weather conditions and other locality factors, shall open limited areas\forest roads for tourism between 1st to 15th October. For the remaining months of the year these area will be open for tourism and photography.
- (2) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuary shall be based on the timings of sunrise and sunset and shall be modified accordingly. Actual entry and exit times shall be notified and placed on the notice board at the entry gate and printed on the permits.

9. Special Fees:

The officer in-charge of a protected area shall have the power to impose special rates, for any sensitive or premium areas/routes/activities, through a written order, in order to regulate the impact on wildlife and environment resulting from the tourist traffic, after giving at least two month notice, in consultation with the Chief Wildlife Warden.

10. Sharing of tourism income with the local communities:

Since the tourism in and around tiger reserves and other protected areas is sustained primarily from the non-consumptive use of wildlife resources and the local communities are the ones that bear the cost of conservation in terms of lost incomes, cattle depredation by carnivores and crop damage by wild herbivores; one third of all tourism receipts deposited in the development fund of that protected area in a year shall be shared with the Eco Development Committees of that protected area.

11. Miscellaneous:

- (1) Any other tourism service or activity, not mentioned in these rules, or has been mentioned but not yet started from the management point of view, can be started with the prior permission of the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh. But this will not be done until the adverse impacts of such activities have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.
- (2) The Chief Wildlife Warden shall limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity. In addition, he shall also decide the separate carrying capacities for other activities such as boating, trekking, camping, elephant ride, nature trail etc.
- (3) The entry/excursion or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited by the officer in-charge of the protected area under unavoidable circumstances from wildlife conservation or management point of view.
- (4) Detailed guidelines for filming, boating, wildlife viewing by vehicles, elephant rides, trekking, nature trail, camping and use of watch tower/hides/machans etc. and any other activity

which can be started in future, shall be issued by the Chief Wildlife Warden, which will form part of these rules.

- (5) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/Sanctuaries except under specific orders of the Government. This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Advisory Board, meetings of Forest Officers of Madhya Pradesh, training programs or workshops for Forest Officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.
- (6) Unauthorized display, sticking or pasting of advertisements, signboards, banners and charts etc. in any Protected Area shall be prohibited.
- (7) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any Protected Area.
- (8) Use of spot lights to see wildlife for the purposes of tourism and photography/filming is banned.
- (9)
 - (a) Officer not below the rank of Range Officer shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/- from any person who has entered the protected area for tourism/Video/Filming/Picturing/Photography and has violated any conditions of entry permit or instructions given by the management and besides this competent forest officer may take legal action as per Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and any other legal provisions, against any such person who has violated provisions of the said act or any other rules. Officer in-charge of the protected area can also ban his entry for the remaining period of his entry permit, either in part or in full. CWLW shall issue detailed instructions to receive such compensation from the person.
 - (b) For any violation by the camera man or his assistant of the photography/filming team, in addition to the legal action by the competent forest officer, their entry can be banned for the part or full period of the remaining permission period by the officer in-charge of the protected area.

- (c) If the driver/boatman of the registered vehicle/boat and the guide present in it, violate any instruction given by the management officer not below the rank of Range Officer, shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/-. Competent Forest Officer in the case of first violation shall be entitled to prohibit their entry, as well as the entry of their vehicle/boat for seven days, for one month in the case of second violation and in the case of third violation their entry for the rest of the tourism year (1st July to 30th June next calendar year), be prohibited inside the protected area in addition to other legal actions. Registered vehicles/boats and their driver/boatman and guide who have been punished thrice during the previous two years, can be banned from entering the National Park or sanctuary for next two years by the officer in-charge of the protected area. CWLW shall issue detailed instructions to receive such compensation from the person.
- (d) Any habitual offender or a person involved in any gross misconduct or breach of rules can be barred from entering the National Park or sanctuary by the officer in-charge of the protected area.
- (e) No action of barring the entry of a person under sub-rule (9) shall be taken unless a proper opportunity of hearing has been given to the affected person.
- (10) All protected areas shall remain closed for tourism and video/filming/picturing photography on the Government holidays of Dipawali and Holi. Besides this, the other days on which protected areas shall remain closed for tourism and video/filming/picturing photography/filming shall be decided by the State Government.

This Notification shall come into force with effect from 01 October, 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.